फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

मुला पिता चन्द्रा गूर्जर निवासी पीपलून्द

बनाम

प्रभू पिता कल्याण मीणा निवासी पीपलून्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 52/2023

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये</th></tr>
<tr><td>07.06.2023</td><td>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलून्द पटवार हल्का पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 278/1, 3156/2784 कुल किता 02 रकबा 1.3921 हैंक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हैं , अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं । अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं ।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलून्द पटवार हल्का पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 278/1, 3156/2784 कुल किता 02 रकबा 1.3921 हैंक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 1000 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)</td><td></td></tr>
</table>

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्र./रीडर/2023/521/2023 दिनांक :– 07.06.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 521/23 अनवान मूला पिता चन्द्रा जाति गूर्जर निवासीर पीपलुन्द तह. जहाजपुर बनाम प्रभू, सुवा पिता कल्याण मीणा , बच्ची पत्नि अम्बालाल मीणा ,सांवता पिता भेरु गुर्जर घनश्याम पिता कंवरा मीणा निवासीयान पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला–भीलवाडा राजस्थान, देशराज पिता शान्तिलाल निवासी बोखला तह. केकडी

पथरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम पीपलून्द पटवार हल्का पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 278/1, 3156/2784 कुल किता 02 रकबा 1.3921 हैंक्टेयर** भुमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक **पीपलुन्द** को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)